

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6083 / 3148

दिनांक: 15-12-16

सेवा में

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय: Diversion of 0.0217 ha. of forest land for access to residential group housing colony of M/s
CHD Developers Ltd. along Fazilpur Jharsa road, km. 0-1, L/side, at Village Fazilpur
Jharsa, under forest division and District Gurgaon, Haryana.


Online Proposal No. FP/HR/Others/7379/2014

संदर्भ: आपका फाईल क्रमांक 9-HRB042/2015-CHA व इस कार्यालय के पत्र क्रमांक
प्रशा-डी-तीन-6083 / 2243 दिनांक 17-10-2016 के निरन्तर में ।

विषयोक्त केस में वन मण्डल अधिकारी, गुरुग्राम के माध्यम से प्राप्त "अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" की अनुपालना
में सम्बन्धित जिलाधीश की ओर से जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित है ।

कृपया प्रस्ताव में स्वीकृति बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्न/उपरोक्त ।


नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0),
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

377

COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT., 2006

TITLE OF THE CASE/PROJECT : Diversion of 0.0217 hac. Of forest land
for access to residential group housing colony of M/s CHD Developers Ltd.
along Fazilpur Jharsa road, Km. 0-1, L/side, at Village Fazilpur Jharsa,
Under forest division and district Gurugram Haryana.

It is certified that the forest land is located in village
having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the
census-2001 and the Census-2011.

For Deputy Commissioner,
Gurugram.